झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–51 वर्ष 2019

उज्जवल कुमार सिन्हा उर्फ राजेश कुमार सिन्हा, उम्र लगभग 30 वर्ष, पे0–शिव रतन लाल, निवासी ग्राम–कासियान टोला, राँची रोड रेडमा, डाकघर–जी0एल0ए0 कॉलेज, थाना–सदर डाल्टेनगंज, जिला–पलामू, झारखण्ड ....
याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. अशोक राम, पे0–स्वर्गीय रामचरित्र राम, निवासी ग्राम–अहिराही, डाकघर एवं थाना–चैनपुर, जिला–पलामू, राज्य–झारखण्ड .... विपक्षीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री मनोज कुमार सं0 2, ए0पी0पी0।

03 / 28.01.2019 याचिकाकर्त्ता दिनांक 11.09.2017, 22.06.2018 और 28.11.2018 के आदेश से व्यथित है।

2. याचिकाकर्त्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आदेश जिसके द्वारा न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / 83 के अधीन प्रक्रियाएं जारी की हैं वह यह नहीं दर्शाता है कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 और धारा 83 के अधीन अनिवार्य अपेक्षा को इस मामले में पालन किया गया।

3. श्री मनोज कुमार, विद्वान ए0पी0पी0 कहते हैं कि पीड़ित लड़की, जो नाबालिग है, का अभी तक पता नहीं चला है।

4. याचिकाकर्त्ता प्राथमिकी का एक नामित अभियुक्त है। उनके खिलाफ भा0दं0सं0 की धारा 363 और 366ए के अधीन अपराधों के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.06.2017 में दर्ज है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इस संदेह पर कि उसने नाबालिग लड़की को शादी के लिए जाल में फँसाया है। यद्यपि, दिनांक 11.09.2017 के आदेश , जिसके द्वारा गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया गया है, में दर्ज है कि याचिकाकर्त्ता गिरफ्तारी से बच रहा था। इसके लगभग दस महीने बाद सीआर0पी0सी0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई और उसके पाँच महीने के बाद याचिकाकर्त्ता के खिलाफ सीआर0पी0सी0 की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी की गई। याचिकाकर्त्ता पड़ोसी गांव का निवासी है। उक्त आदेश में दर्ज है कि याचिकाकर्त्ता गिरफ्तारी से बच रहा है।

5. उपरोक्त तथ्यों में, मैं मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और तद्नुसार, इस अभिखंडित याचिका को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्त्ता नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करके चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करता है और सुनवाई की तारीख से तीन दिन पहले विधिवत रूप से विद्वान ए0पी0पी0 को इसकी एक प्रति देता है, तो उसकी जमानत याचिका पर अधिमानतः उसी दिन उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से, सीआर0एम0पी0 सं0 51/2019 की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना।

6. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्त्ता द्वारा सामान्य व्यय के भुगतान पर आदेश की एक प्रति 'फैक्स' के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित की जा सकती है।

7. प्रार्थना की अनुमति है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)